(6)

मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

<u>आदेश</u>

भोपाल, दिनांक /09/2023

क्रमांक PRE/1/0133/2023-sec-1-24(PRE) इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4/10/05/जसं/24 दिनांक 09 मई 2005 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2005 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2005 अंतर्गत निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11/22/2006/जसं/24 दिनांक 24 जुलाई 2010 अंतर्गत सामान्य बीमारियों के उपचार के लिये आर्थिक सहायता राशि की अधिकतम सीमा रूपये 20000/- से बढाकर रूपये 40000/- तक एवं गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि की सीमा रूपये 50000/- से बढ़ाकर रूपये 100000/- तक की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेगीं।

उक्त स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 45 दिनांक 26 सितम्बर 2023 के संदर्भ में जारी की जा रही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

/

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ.क्रमांक PRE/1/0133/2023-sec-1-24(PRE) भोपाल, दिनांक 25 /09/2023

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय,ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग,मंत्रालय भोपाल।
4. उप सचिव मुख्यसचिव कार्यालय भोपाल ।
5. निज सचिव,मान0 मंत्री जी जनसम्पर्क विभाग भोपाल ।
6. आयुक्त जनसम्पर्क संचालयनालय,भोपाल मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कमिश्नर/कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
8. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल ।
9. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/जिला कोषालय अधिकारी भोपाल ।
10. स्टाक फाईल ।

उप सचिव 29.9.23

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

—:आदेश:—

भोपाल, दिनांक   / जून / 2015

क्रमाक एफ 5—3 / 2015 / ज.स / 24:: राज्य शासन जनसम्पर्क विभाग के मध्यप्रदेश सचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिये निम्नानुसार नियम बनाता है :—

1. **नाम — यह नियम मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह** बीमा नियम—2014 कहलायेगें ।

2. **परिभाषाएं —** विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वहीं है जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है ।

2.1 **शासन—** का अर्थ मध्यप्रदेश शासन ।

2.2 **आयुक्त / संचालक—** का अर्थ है आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क सचालनालय, मध्यप्रदेश

2.3 **प्रतिनिधि—** का अर्थ है कोई संचार प्रतिनिधि (पत्रकार / संवाददाता / फोटोग्राफर / कैमरामैन) जो किसी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चैनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करता हो ।

2.4 **नियम का क्षेत्र—** मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा नियम उन सभी सचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश में निवास करते है और जिनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश है । सचार प्रतिनिधि का निवास बीमा के आवेदन—पत्र में उल्लेखित कार्यस्थल / पदस्थापना के स्थान पर होना आवश्यक है ।

3. **बीमा —** का अर्थ है, वह अनुबंध जो निर्धारित अवधि के लिये चिकित्सा सुविधा अथवा स्थायी अपगता / अशक्तता होने पर बीमित व्यक्ति को देय लाभ के लिये किया गया है ।

3.1 **बीमा की राशि—** संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा रूपये दो लाख और दुर्घटना बीमा रूपये पांच लाख का होगा, यह बीमा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपकम की बीमा कम्पनी से कराया जायेगा ।

3.2 **बीमा की अवधि—** मध्यप्रेश संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एव दुर्घटना समूह बीमा की अवधि एक वर्ष होगी, संचार प्रतिनिधि को बीमा अवधि पूर्ण होने के पूर्व नये वर्ष के लिये बीमा कराने के लिये समस्त वांछनीय कार्यवाही पूर्ण करानी होगी ।

निरंतर ... 2

3.3 **बीमा की प्रभावशीलता**– संचार प्रतिनिधि द्वारा अंशदान की राशि जमा करने का अर्थ बीमा होना नहीं होगा, संचालनालय द्वारा पूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात् बीमा कम्पनी द्वारा बीमा होने के संबंध में जारी अनुबंध के दिनांक से बीमा लागू होना माना जायेगा ।

3.4 **बीमा की अवधि**– बीमा के लिए निर्धारित 70 वर्ष तक लगातार बीमा योजना में सम्मिलित पत्रकार के लिए पॉलिसी का नवीनीकरण सीमित सदस्य जब तक चाहेगा, तब तक किया जा सकेगा ।

3.5 **बीमा की किश्त**– संचार प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनी द्वारा रूपये दो लाख के स्वास्थ्य एवं पांच लाख के दुर्घटना बीमा के लिये निर्धारित वार्षिक (प्रीमियम) की पच्चीस प्रतिशत राशि बीमा कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट कार्यालय में अथवा आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश के नाम यथा सूचित तिथि तक जमा करना आवश्यक होगा । 60 वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिए निर्धारित वार्षिक किश्त (प्रीमियम) का पचहत्तर प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष की आयु के पत्रकारों के लिए 85 प्रतिशत अंशदान जनसपर्क संचालनालय द्वारा जमा कराया जायेगा। 75 वर्ष के पश्चात् लगातार समूह बीमा योजना में शामिल वरिष्ठ पत्रकार को प्रीमियम की पूरी राशि देने के सम्बन्ध में आयुक्त जनसंपर्क निर्णय ले सकेंगे । युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कम्पनी की प्रीमियम दर आयु समूहवार सलग्न सूची के अनुसार होगी ।

3.6 **बीमा की पात्रता**– मध्यप्रदेश के ऐसे संचार प्रतिनिधि, जिनकी आयु 21 से 70 वर्ष के मध्य है । मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की सदस्यता के लिये पात्र होंगे ।

3.7 **परिवार**– पति / पत्नि अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।

3.8 **नामांकिती**– बीमित संचार प्रतिनिधि को बीमा कम्पनी से क्लेम प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र में नामांकिती (नामिनी) घोषित करना आवश्यक होगा ।

3.9 **दुर्घटना की सूचना**– तत्काल अधिकतम सात दिवस के भीतर बीमा करने वाली कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होगा ।

3.10. **दावा**– बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नामांकिती सदस्य अथवा स्थायी अपंगता / अशक्तता होने पर स्वय बीमाधारक को (1) दावा (क्लेम) के लिये निर्धारित प्रपत्र में सूचना (2) पुलिस में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति (3) यथा आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र (4) मृत्यु प्रमाण पत्र और (5) नामांकिती सदस्य का प्रमाण बीमा करने वाली कम्पनी के कार्यालय में निर्दिष्ट समयावधि में जमा कराने होगें ।

4. **अर्हताए–** मध्यप्रदेश के संचार प्रतिनिधि को व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये निम्नानुसार अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगाः–

4.1 बीमा के लिये जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिस्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है ।

4.2 बिना अधिस्वीकृति प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आवश्यक होगा कि पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर–16 संलग्न करने पर ही मान्य होगा ।

5. स्वास्थ्य एवं दुंधटना समूह बीमा योजना के सदस्य बनने के इच्छुक पत्रकार/संवाददाता को वांछित अर्हताएं प्रमाण सहित निर्धारित प्रपत्र में विभागीय मुख्यालय में संभागीय जनसंपर्क कार्यालय एवं जिला के संवाददाता/पत्रकारों द्वारा जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से निर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । बीमा कम्पनी के निर्धारित कार्यालयों में भी बीमे का प्रस्ताव पत्र प्राप्त और जमा किए जा सकते है ।

6. बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही जनसंपर्क संचालनालय द्वारा प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी ।

7. बीमा योजना का बीमा कम्पनी से अनुबंध करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसपर्क को होगा ।

8. बीमा नियमों में तथा आवश्यक संशोधन राज्य शासन द्वारा किये जा सकेगें ।

9. राज्य शासन को उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सेवा के संचार प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योना में सम्मिलित करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

10. बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक चिकित्सा की कैशलेस व्यवस्था होगी । पत्रकारों को एक कार्ड दिया जाएगा । इसके आधार पर चिन्हित अस्पताल में इलाज होगा । अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी ।

11. इस योजना मे कोई एजेंट नहीं होगा । कोई कमीशन देय नहीं होगा । यह पालिसी सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी ।

12. बीमें के अन्तर्गत बीमा तिथि से पूर्व की सभी बीमारियों को कवर किया जाएगा ।

निरंतर 4

13. पत्रकारों को बीमें का अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए बीमा कम्पनी से बीमा कराने, प्रीमियम जमा करने की सरल प्रक्रिया लागू की जाएगी । पालिसी सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने पर पत्रकार कल्याण से चिकित्सा सहायता राशि की व्यवस्था की उपयोगिता पर विचार कर कार्यवाई की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 भूपेन्द्र गौतम)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ़ 5–3/2015/ज.स/24 भोपाल, दिनांक 26 /जून/2015

प्रतिलिपि :–

01. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
03. प्रमुख सचिव,(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
04. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल ।
05. समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
06. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल।
07. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, भोपाल(म0प्र0) ।
08. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल ।
09. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी जनसंपर्क विभाग, भोपाल ।
10. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
11. स्टाक फाईल ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.- बि. पू. भु.-04-भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2005—वैशाख 30, शक 1927

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2005

क्र. एफ-4-10-05-जसं-चौबीस.—राज्य शासन, जनसंपर्क विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-4-81-प्रका.-24(1), दिनांक 30 मार्च 1982 द्वारा जारी विधान के नियमों, जनसंपर्क विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-20-84-प्रका-चौबीस-दिनांक 18 अप्रैल 1985, समसंख्यक, अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर, 1986 एवं संशोधन क्रमांक एफ 11-70-85-जसं-चौबीस, दिनांक 19 सितम्बर 2004 को विलोपित करते हुए, मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये निम्नानुसार नियमावली बनाता है :—

1. **नाम**—यह नियम मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2005 कहलायेंगे.

2. **सहायता राशि**—पत्रकारों के कल्याण के लिये शासन द्वारा आवंटित राशि से सहायता इन नियमों के अनुसार दी जायेगी.

3. **परिभाषाएं**—विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो, तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है, जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है;

3.1 **शासन**—का अर्थ है मध्यप्रदेश शासन.

3.2 **संचालक**—का अर्थ है संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश.

3.3 **प्रतिनिधि**—का अर्थ है, कोई पत्रकार/संवाददाता/फोटोग्राफर/कैमरामैन जो किसी अशासकीय समाचार एजेन्सी, ब्राड कास्टिंग कंपनी, टेलीविजन चैनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधि [illegible] हो.

3.4 **मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति**—का अर्थ है ऐसी समिति जिसका गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचार प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रकरणों में परामर्श देने के लिये किया गया हो.

3.5 **सदस्य**—मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 16 संचार प्रतिनिधि, संचालक जनसंपर्क सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता प्रभाग के प्रभारी अपर संचालक, जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति में कुल 18 सदस्य होंगे. समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सके.

3.6 **नियम का क्षेत्र**—मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के नियम उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश है.

3.7 **कार्यकाल**—मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष होगा. तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.

3.8 **सदस्यता की समाप्ति**—समिति के सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने, संबंधित स्थान से स्थानांतरित होने, संबंधित संस्थान से विमुक्त होने अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिसे शासन मान्य करे सदस्यता समाप्त हो सकेगी.

3.9 **बैठकें**—समिति की आवश्यकतानुसार एक वर्ष में चार बैठकें (सामान्यत: प्रत्येक तिमाही में एक बैठक) आयोजित की जायेगी.

3.10 **परिवार**—का आशय यथास्थिति आश्रित पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है. समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना सात दिन पूर्व जारी की जा सकेगी. आवश्यक होने पर आपातकालीन बैठक 48 घंटे की सूचना पर आयोजित की जा सकेगी.

4. **सहायता की पात्रता**—मध्यप्रदेश के ऐसे संचार प्रतिनिधि, जिन्हें समिति सहायता के लिये पात्र समझती है और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य इस निधि से सहायता पाने के पात्र होंगे.

5. **सहायता देने की स्थितियां**—सहायता निम्नलिखित स्थितियों में दी जा सकेगी :—

5.1 कंडिका 3.3 नियम में उल्लिखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित सदस्यों को दीर्घ या गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिये.

5.2 किसी दैवी विपत्ती से पीड़ित होने पर.

5.3 संचार प्रतिनिधि के रूप में मध्यप्रदेश में कम से कम तीस वर्ष की सेवा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद निराश्रित होने पर वृद्धावस्था में विपन्नता के कारण.

5.4 कंडिका 3.3 में उल्लिखित प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाने पर कंडिका 4 के अनुसार यदि उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की आजीविका का कोई साधन न हो.

6. **सहायता की सीमा**—पत्रकार कल्याण सहायता राशि से एक वर्ष में परिवार के एक सदस्य को एक बार ही सहायता दी जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये पर्याप्त प्रमाण और व्यय राशि अथवा संभावित व्यय का समाधान कारक ब्यौरा प्रस्तुत करने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपये 20,000/- तक सहायता राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी. किन्तु एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के सदस्यों को अधिकतम रुपये 20,000/- मात्र की ही सहायता राशि स्वीकृति हो सकेगी. सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी :—

6.1 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर रुपये 20,000/- तक की सहायता संचालक जनसंपर्क द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी.

6.2 संचालक, जनसंपर्क संचालनालय द्वारा समिति की दो बैठकों के बीच के अंतराल, जो तीन माह से अनधिक होगा, में निर्धारित सीमा तक की सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिये अनिवार्यत: रखे जायेंगे.

6.3 विशेष परिस्थितियों में, प्रतिनिधि द्वारा आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने

की स्थिति में, यह समाधान हो जाने पर कि प्रतिनिधि को इलाज के लिये राशि की आवश्यकता है, संचालक, जनसंपर्क द्वारा आवश्यक सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी. जिसका अनुमोदन समिति की अगली बैठक में लिया जायेगा.

7. **सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**—

7.1 सहायता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित प्रतिनिधि अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.

7.2 अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिनिधि अथवा आश्रितों को निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे. इस आवेदन पत्र पर क्रियाशील समिति के दो सदस्यों की अनुशंसा आवश्यक होगी.

8. **निर्णय**—प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा अन्तिम होगी और इसे वाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा.

9. **व्याख्या**—इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. ए. कबीर, उपसचिव.

आर्थिक सहायता का आवेदन पत्र

(मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम के अंतर्गत)

1. आवेदक (प्रतिनिधि) का नाम : ....
2. संस्था का नाम एवं मुख्यालय : ....
3. पद एवं कार्यस्थल : ....
4. निवास का पता : ....
5. दूरभाष क्रमांक : ....
6. प्रतिनिधि की मासिक आय : ....
7. रोगी का नाम तथा आवेदक से संबंध. : ....
8. बीमारी का नाम : ....
9. चिकित्सालय जहां इलाज हो रहा है. : ....
10. इलाज के लिये आवश्यक राशि : रुपये ....मात्र
11. इलाज पर अब तक व्यय की गई राशि. : ....
12. समिति के समाधान के लिये संलग्न किये गये प्रमाणों की सूची. : ....

1

2

3

4

5

प्रमाणित किया जाता है कि दी गई उपर्युक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है चिकित्सक के अनुसार कालम 8 में बताई गई बीमारी गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आती है. रोगी पूर्णत: मुझ पर आश्रित है तथा उसके आय का कोई स्त्रोत नहीं है. मेरी संस्था में उक्तानुसार रोगी के इलाज के लिये चिकित्सा अग्रिम देने अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है.

आवेदक के हस्ताक्षर.

प्रति,
संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश
भोपाल.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

6. **नियम 10.6.**—''आवंटन के प्रदाय में नियम 10.6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

''नियम 10.6 में प्रतिवर्ष बजट में प्रावधानित राशि का आवंटन 60 प्रतिशत जिलों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आवंटित किया जायेगा तथा बजट प्रावधान का शेष 40 प्रतिशत शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगा, जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणाएं एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आवंटन उपलब्ध कराने के लिये किया जा सकेगा.''

शेष विभागीय आदेश क्रमांक एफ 23-15-2004-4-पच्चीस, दिनांक 29 अक्टूबर 2004 यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. अहिरवार, अवर सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2010

नियमों में संशोधन

क्र. एफ 11-22-2006-जसं-चौबीस.—5.1.2 नियम कंडिका क्रमांक 3.3 में उल्लेखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को ''प्राणघातक रोगों जैसे केन्सर, हृदय की बायपास सर्जरी/एन्जियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु सहायता के प्रकरणों में, डीन मेडिकल कालेज, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर पत्रकार कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा ऐसे प्रकरणों में उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी.

5.2 मीडिया प्रतिनिधियों को प्राकृतिक या आकस्मिक विपत्ति जैसे आगजनी आदि प्रकरणों में आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. ''यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे आगजनी, वाहन दुर्घटना, आकस्मिक रूप से संपत्ति का नुकसान आदि किसी दुर्घटना का शिकार होता है अथवा जनान्दोलनों/ दंगों/बाढ़ आदि में समाचार कव्हरेज करते समय पत्रकारों, कैमरामेनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होते है, तो उक्त स्थिति में प्रभावित पत्रकार को पत्रकार कल्याण कोष से अधिकतम राशि रुपये 25,000/-(रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की सहायता मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के पश्चात् दी जा सकेगी''.

5.4 ''यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसकी कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को तात्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की सहायता दी जा सकेगी. यद्यपि विशेष प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर/अथवा आयुक्त/सचिव जनसंपर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि आदि के संबंध में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे तथापि यह आवश्यक होगा कि दिवंगत पत्रकार की पत्नी शासकीय सेवा में न हो अथवा अन्य किसी स्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो''.

6. सहायता की सीमा-पत्रकार कल्याण सहायता राशि से एक वित्तीय वर्ष में मीडिया प्रतिनिधि एवं उसके परिवार के सदस्यों को निर्धारित सीमा तक एक बार ही सहायता दी जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त प्रमाण और व्यय राशि अथवा संभावित व्यय का समाधान कारक ब्यौरा प्रस्तुत करने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000/- तक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी.

6.1 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर सहायता राशि आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क आकस्मिकता की स्थिति में अनुशंसा की प्रत्याशा में सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे.

6.1.1 नियम कण्डिका क्रमांक 5.1. में उल्लिखित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में डीन मेडिकल कालेज, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक, स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर म. प्र. संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकतम रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. इसके लिए रोगी को सरकारी अथवा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में इलाज कराया जा रहा हो या कराया जाना हो.

6.1.2 संचार प्रतिनिधि को बीमारी के इलाज के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये बीमारी, चिकित्सालय में भर्ती होने, दवाओं आदि की खरीदी पर यह व्यय के प्रमाण शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे.

6.1.3 सहायता की राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) से अधिक होने पर संबंधित अस्पताल के डॉक्टर अथवा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट से वास्तविक इलाज का प्राक्कलन (एस्टीमेट) प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे संबंधित चिकित्सालय के नाम भेजा जायेगा. इसके पूर्व रोगी के भर्ती, दवाएं खरीदी के देयक एवं अन्य जांच के देयक प्रस्तुत करने होंगे.

राकेश श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित म0प्र0संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2007 में संशोधनः–

म0 प्र0 राजपत्र 20 मई 2005 भाग 4 (ग) पृष्ठ क्रमांक–206

कण्डिका	वर्तमान नियम	संशोधन
3.5	म0प्र0संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 16 संचार प्रतिनिधि, संचालक जनसंपर्क सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता प्रभाग के प्रभारी अपर संचालक, जनसंपर्क सदस्य सचिव होगें, इस प्रकार समिति में कुल 18 सदस्य होगें, समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सकें।	मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में कुल 25 पत्रकार सदस्य होगें, जिनमें से जनसंपर्क संचालनालय तथा उनके नामांकित अपर संचालक, सदस्य सचिव होगें। इस प्रकार समिति के कुल सदस्यों की संख्या 25 होगी, समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सकें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(लाजपत आहूजा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

पृष्ठां0क्रमांक एफ 6–4 / 2007 / जसं / 24
भोपाल, दिनांक 22–05–2013

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार म0प्र0ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा, भोपाल ।
6. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जनसंपर्क विभाग, भोपाल ।
7. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. स्टॉक फाईल।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /09/2018

कमांक एफ 05-30/2018/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उस पर आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि को रूपये 01.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 04.00 लाख की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

/

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ0क0एफ 05-30/2018/जस/24 दिनांक 14-09-2018

प्रतिलिपिः--

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल।
7. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
9. स्टाफ फाईल।

अ.सं.(प.क.)

आयुक्त, जनसंपर्क

संचालक, जनसंपर्क

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

(7)

मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 7/09/2018

कमांक एफ 05-40/2018/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामेनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि रूपये 25000/- से बढ़ाकर रूपये 50000/- की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ0क0एफ 05-40/2018/जस/24 दिनांक 14/09/2018

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल।
7. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी भोपाल।
9. स्टाफ फाईल।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

(8)

मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /09/2018

क्रमांक एफ 05-26/2018/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2005 की कण्डिका 3.10 में परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता (जो शासकीय कर्मचारी न हो एवं उनकी पेंशन सहित समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 01.00 लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो) का नाम शामिल किया जाता है । साथ ही नियम की कण्डिका 7.1 में उल्लेखित प्रावधान के साथ पत्रकार को माता-पिता के आश्रित होने और शासकीय कर्मचारी नहीं होने का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ देने संबंधी प्रावधान को शामिल किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ0क्र0एफ 05-26/2018/जस/24 दिनांक 27/09/2018

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल।
7. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार, विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
9. स्टाफ फाईल।

Commissioner, Public Relations

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

Public Relations

मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक /1/2021

क्रमांक एफ 5-56/2020/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 के आदेश क्रमांक एफ 11-22/2006/जस/24 दिनांक 24/7/2010 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

वर्तमान प्रावधान	प्रावधान संशोधित
कडिका 5.4- यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसका कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी और नाबालिक बच्चो को तत्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रूपये 25,000/- रूपयें (पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रूपये 4,00,000/- (चार लाख) की सहायता दी जा सकेगी । यद्यपि विशेष प्रकरणों मे मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर/अथवा आयुक्त/ सचिव जनसम्पर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि आदि के संबध मं शिथिलता प्रदान कर सकेंगे यद्यपि यह आवश्यक होगा कि दिवंगत पत्रकार की पत्नी शासकीय सेबा मं न हो अथवा अन्य किसी स्त्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो ।	कडिका 5.4- यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसका कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी और नावालिक बच्चों को तत्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रूपये 4,00,000/- (चार लाख मात्र) की सहायता दी जा सकेगी । यद्यपि विशेष प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर अथवा संचालक/ आयुक्त जनसम्पर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि अधिमान्यता प्राप्त होने आदि के संवध में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे तथापि यह आवश्यक होगाकि दिवंगत पत्रकार की पत्नी शासकीय सेवा में न हो अथवा अन्य किसी स्त्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो । टीप:-
6.1.1.- नियम कंडिका 5.1 में उल्लेखित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में डीन मेडिकल कालेज,संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संचालक स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की सहमति से अथवा आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र) तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी इसके लिये रोगी को सरकार अथवा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में इलाज कराया जा रहा हो या कराया जाना हो ।	नियमों की कंडिका 5.1 में उल्लेखित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों मे कंडिका 6.1.2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। संचार प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को प्राणघातक रोगों जैसे कैसर,हृदय की बायपास सर्जरी/एन्जियोप्लास्टि. न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर बीमारी का उपचार अगर आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत चिन्हित/पंजीकृत अस्पताल में चल रहा है तो उस अस्पताल के चिकित्सक का बीमारी एवं उस पर होने वाले व्यय का प्रमाण देने पर उपचार के लिये 50 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की सहमति से अथवा आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी किन्तु उक्त अस्पताल के आयुष्मान भारत योजनातर्गत चिन्हित नही होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन डीन मेडीकल कालेज, की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की सहमति से अथवा आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र) तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।

(10)

6.1.2.- संचार प्रतिनिधि को बीमारी के इलाज के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये बीमारी, चिकित्सालय में भर्ती होने,दवाओं आदि की खरीदी पर यह व्यय के प्रमाण-पत्र शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट /मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगें ।	कंडिका 6.1.2 में संचार प्रतिनिधि को बीमारियो के इलाज के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु चिकित्सालय मे भर्ती होने दवा आदि की खरीद पर हुए व्यय के संबध में प्रमाण-पत्र, अगर आयुष्मान भारत योजना अतंर्गत चिन्हित/ पंजीकृत अस्पताल के चिकित्सक द्वारा जहां संचार प्रतिनिधि या उसके आश्रित परिवार का उपचार हो रहा है, दिया गया हो। उसे प्रस्तुत करना होगा। किन्तु उस अस्पताल के आयुष्मान भारत योजनांतर्गत पंजीकृत नहीं होने पर शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट /मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ0क्र0एफ 5-56/2020/जस/24

दिनांक 04/1/2021

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
8. स्टाफ फाईल।.

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

आयुक्त, जनसंपर्क

संचालक, जनसंपर्क

14.1.21

(11)

मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 29 /9/2021

क्रमांक एफ 5-41/2021/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 के आदेश क्रमांक एफ 5-56/2021/जस/24 दिनांक 4/1/2021 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
5.4- यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसका कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी और नाबालिक बच्चो को तत्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रूपये 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रूपये 4,00,000/- (चार लाख) की सहायता दी जा सकेगी । यद्यपि विशेष प्रकरणों मे मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर/अथवा संचालक आयुक्त जनसम्पर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि अधिमान्यता प्राप्त होने आदि के संबध मे शिथिलता प्रदान कर सकेंगे यद्यपि यह आवश्यक होगा कि दिवंगत पत्रकार की पत्नी शासकीय सेवा मे न हो अथवा अन्य किसी स्त्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो ।	5.4- यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसका कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी/पति और नावालिक बच्चो को तत्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रूपये 4,00,000/- (चार लाख मात्र) की सहायता दी जा सकेगी । यद्यपि विशेष प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर अथवा संचालक/ आयुक्त जनसम्पर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि अधिमान्यता प्राप्त होने आदि के संबध में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे तथापि यह आवश्यक होगा कि दिवंगत पत्रकार की पत्नी/पति शासकीय सेवा में न हो अथवा किसी स्त्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो । इसका शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ0क0एफ 5-41/2021/जस/24 दिनांक /9/2021

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ कृपया राजपत्र में छपवाने का कष्ट करे ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
8. स्टाफ फाईल।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग